



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062021-228021  
CG-DL-E-30062021-228021

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]  
No. 363]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2021/आषाढ 9, 1943  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2021/ASHADHA 9, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

सं. 40/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 451(अ).**—जहां कि वियतनाम (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “6 मि.मी. और उससे अधिक मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड (एमडीएफ)” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4411 13 00 या 4411 14 00 के अंतर्गत आती हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 34/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जुलाई, 2016, जिसे सा.का.नि. 698 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार तथा अपने प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/02/2021-डीजीटीआर, दिनांक 7 जून, 2021, जिसे दिनांक 7 जून, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 34/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जुलाई, 2016, जिसे सा.का.नि. 698 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के समक्ष विनिर्दिष्ट विषयगत वस्तुओं पर लगा प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 13 मार्च, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।”

[फा. सं. 354/58/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 34/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जुलाई, 2016 को सा.का.नि. 698(अ), दिनांक 14 जुलाई, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2021

**No. 40/2021-Customs (ADD)**

**G.S.R. 451(E).**—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/02/2021, dated the 7<sup>th</sup> June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, 7<sup>th</sup> June, 2021, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Plain Medium Density Fibre Board (MDF) having thickness of 6mm and above’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 4411 13 00 or 44 11 14 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Vietnam (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 34/2016 - Customs (ADD), dated 14<sup>th</sup> July 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 698 (E), dated the 14<sup>th</sup> July 2016 and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 34/2016 - Customs (ADD), dated 14<sup>th</sup> July 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 698 (E), dated the 14<sup>th</sup> July 2016, namely: -

In the said notification, after paragraph 2, and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed on the subject goods specified against serial numbers 1, 2, 3, 4, 5, and 6 of the Table above shall remain in force up to and inclusive of the 13<sup>th</sup> March, 2022, unless revoked, superseded or amended earlier.”.

[F. No. 354/58/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 34/2016 - Customs (ADD), dated 14<sup>th</sup> July 2016, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 698(E), dated the 14<sup>th</sup> July 2016.